न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 19/2015

सोनीदेवी बैवा भैराराम नायक निवासी ग्राम बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

अपीलाण्ट .....

–:बनाम:–

1. अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम , बीकानेर सड़क बाईपास रोड।
2. राजस्थान सरकार

....रेस्पोडेंटान .....

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री विजय कुमार पारीक, अपीलाण्ट।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–17/01/2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन न्यायालय तहसीलदार बीकानेर नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 03.04.2000 के विरूद्व मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अपील प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि चक 9 बीएसएम के मु.न.177/20 के किला न.9,11,12,13,18,19,23 व 24 की 3 बीघा 5 बिस्वा एवंम मु.न.177/21 के किला न.3,4,8 की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि हेतु अपीलान्ट को सुने बिना व बिना अवाप्त किये तथा बिना मुआवजे दिये। रेस्पोडनेट न. 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम बीकानेर के नाम दर्ज कर दी गयी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 8.6.15 को Subjct to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 8.6.16 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की 9 बीएसएम पटवार मण्डल उदासर का इंतकाल नम्बर 35 दिनांक 3.4.2000 अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम बीकानेर के पत्रांक 612 दिनांक 24.12.97 व तहसीलदार बीकानेर के पत्रांक 94 दिनांक 12.1.98 की पालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक बाईपास के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

आदेश के विरूद्व अपील इस न्यायालय में दायर नही की जा सकती। अतः अपील खारिज योग्य है। जिस पर अपील बहस हेतु नियत की गयी।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तरण को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर पुनः सुनने हेतु निवेदन किया। राज पैरोकार ने राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया और साथ ही कथन किया की भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश के विरूद्व अपील इस न्यायालय में दायर नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अपील व बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। मियाद के बिदूं पर अपीलाट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए। धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का यह तथ्य की उक्त भूमि का इंतकाल करते समय बेचानकर्ता को सुनना जरूरी था खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट के जवाब अनुसार उक्त भूमि की अवाप्ति आदेश दिनाक 24.12.97 (अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम पंत्राक–612) व तहसीलदार के पत्राक–94 दिनांक 12.1.98 की पालना में करी गयी। जो न्यायालय की दृष्टि से सही होना पाया गया। अवाप्ति की प्रकिया में अपीलान्ट को नोटिस द्वारा सुचित करवाया गया। अगर अपीलान्ट अवाप्ति की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाता है तो वह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। वह सक्षम न्यायालय में इसकी अपील करने को स्वंतत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 15:22:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: